संख्या–3446/9–1–13–230सा/2013

पेषक,

सी.बी. पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ.प्र.,लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 04 जुलाई ~~जून~~, 2013

विषयः वेतन समिति 2008 के तेरहवें प्रतिवेदन (भाग–1) के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के सम्बन्ध में संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) द्वारा तेरहवें प्रतिवेदन (भाग–1) के माध्यम से की गयी संस्तुतियों के अनुक्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे.आ.2– 402/दस–54(एम)/2008 टी.सी. दिनांक–21 जून, ,2013 द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में उ.प्र. नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के पदों के पदनाम, वेतनमान तथा संवर्गीय ढ़ाचा तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार इस प्रतिबन्ध के अधीन पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि इस पुनर्गठन एवं वेतनमान संशोधन से आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे एवं इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी :–

विद्यमान व्यवस्था			संशोधित व्यवस्था		
पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	प्रस्तापित पदनाम	पदों की संख्या –	प्रस्तावित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर नगर आयुक्त	20	15600–39100/7600	अपर नगर आयुक्त	20	37400–67000/8700
उप नगर आयुक्त (विशेष वेतनमान)	उप नगर आयुक्त के पदो के 20 प्रतिशत पद	15600–39100/7600	संयुक्त नगर आयुक्त	19	15600–39100/7600
उप नगर आयुक्त/संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण/अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड	59	15600–39100/6600	उप नगर आयुक्त/संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण/अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड	40	15600–39100/6600

सहायक नगर आयुक्त (22)/अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1(22)/उप सचिव विकास प्राधिकरण (12)	56	15600–39100/5400	सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1/उप सचिव विकास प्राधिकरण	56	15600–39100/5400
अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2 (अनुभागीय अधिकारी नगर निगम–06)	44	9300–34800/4200	अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2/नगर अधिकारी	44	9300–34800/4600
अधिशासी अधिकारी–श्रेणी–3	30	5200–20200/2800	अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3	118	9300–34800/4200
अधिशासी अधिकारी श्रेणी–4	88	5200–20200/2800			
अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत	423	5200–20200/2000	अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत	423	5200–20200/2800
योग–	720			720	

उपर्युक्त पुनर्गठन एवं वेतनमानों के पुनरीक्षण व पदों की भर्ती की व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती की व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)
अपर नगर आयुक्त	17	37400–67000/8700	02 वर्ष की सेवा वाले संयुक्त नगर आयुक्त के पदों से पदोन्नति द्वारा
संयुक्त नगर आयुक्त	19	15600–39100/7600	03 वर्ष की सेवा वाले उप नगर आयुक्त/समकक्ष पदों से पदोन्नति द्वारा
उप नगर आयुक्त/समकक्ष पद	40	15600–39100/6600	05 वर्ष की सेवा वाले सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1/उप सचिव विकास प्राधिकरण के पदों से पदोन्नति द्वारा।
सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1/उप सचिव विकास प्राधिकरण	56	15600–39100/5400	1. 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता–स्नातक उपाधि। परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जायेगा जब वे डोयक सोसाइटी (DOEACC) से प्रदत्त "ओ" स्तर का डिप्लोमा प्रापत कर लेंगे। 2. 50 प्रतिशत पद 03 वर्ष की सेवा वाले अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2/नगर अधिकारी के पदों से पदोन्नति द्वारा।
अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2/नगर अधिकारी	44	9300–34800/4600	05 वर्ष की सेवा वाले अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3 के पदो से पदोन्नति द्वारा।
अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3	118	9300–34800/4200	07 वर्ष की सेवा वाले अधिशासी अधिकारी (नगर पंचायत) के पदों से पदोन्नति द्वारा।

अधिशासी अधिकारी(नगर पंचायत)	423	5200–20200 / 2800	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता–स्नातक उपाधि। परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जायेगा जब सम्बन्धित कार्मिक द्वारा डोयक सोसाइटी(DOEACC) से प्रदत्त "ओ" स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जायेगा।

2– नगरीय निकायों में स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत विद्यमान मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक पदों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300– 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 एवं जोनल सेनेटरी अधिकारी के पद को वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

3– नगरीय स्थानीय निकायों में विद्यमान मुख्य अभियन्ता के पदधारकों को रू. 15600–39100, ग्रेड वेतन रू0 7600 के पदों को संशोधित करते हुए, वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000, ग्रेड वेतन रू0 8700 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाता है।

4– जल संस्थानों के अकेन्द्रीयित सेवा के वित्त अधिकारी के पदों को तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत कर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100, ग्रेड वेतन रू0 7600 इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जाता है कि इस पद पर कार्यरत वर्तमान पदधारकों के द्वारा पद रिक्त किये जाने पर, इन पदों को वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के पदधारकों से भरा जायेगा।

5– " स्थानीय निकाय निदेशालय"उत्तर प्रदेश, लखनऊ का नाम "नगर निकाय निदेशालय" उत्तर प्रदेश, लखनऊ परिवर्तित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार पदों के पुनर्गठन, वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप नागर निकायों / जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत सामान्य जन को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

6–उपरोक्तानुसार पुनर्गठित संवर्गीय ढ़ाचें के पदों के लिये भर्ती के स्रोत, भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता, भर्ती की प्रकिया आदि का समावेश करते हुए संशोधित सेवा नियमावली का प्रख्यापन यथाशीघ्र पृथक से किया जायेगा।

7– उक्त पुनगर्ठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे.आ.–2–841 / दस–59(एम) / 2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

8– उपर्युक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के अशासकीय पत्र संख्या–वे0आ0–2–714./दस–2013 दिनांक– 02 जुलाई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सी.बी. पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

सख्या–3446 (1)/9–1312 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त महाप्रबंधक, जल संस्थान,उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें , उत्तर प्रदेश।
6– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2 को तीन–तीन प्रतियों में।
7–. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8
8. कार्मिक अनुभाग–1/2
9. नगर विकास अनुभाग–4
10. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।